STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 5th of May, 2008, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Further discussion on the working of the Ministry of Human Resource Development.
3. Consideration and passing of the following Bills after they are passed by Lok Sabha:—
   (a) The National Waterways (Talcher-Dhamra Stretch of Rivers, Geonkhali-Charbatia Stretch of East Coast Canal, Charbatia-Dhamra Stretch of Matai River and Mahanadi Delta Rivers) Bill, 2006;
   (b) The Carriage by Air (Amendment) Bill, 2007; and
   (c) The National Jute Board Bill, 2006.
4. Consideration and passing of the Unorganized Sector Workers' Social Security Bill, 2007.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Bill, 2008

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 29th April, 2008, agreed without any amendment to the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry Bill, 2008, which was p ed by Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd April, 2008."

Re. BREACH OF PRIVILEGE NOTICE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the Zeo Hour Mentions. Shrimati Sushma Swaraj ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): सर, मेरा एक privilege motion था, आपकी नज़रों में वह privilege motion रखा भी हुआ है और आपने इसे देखा भी है। पिछले कुछ दिनों से एक सवाल पर यह सदन, दूसरा सदन, पूरा देश उद्वेलित है और वह सवाल था श्री टी.आर. बालू का। उस सवाल को हम लोगों ने ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: दिग्विजय सिंह जी, आपने इसे उठाया है ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: आप मेरी बात को सुन लें। पूरा सदन उद्वेलित था और इसके बदले में कहा गया कि यहां पर जवाब दिया जाएगा। यहां जवाब देने की बजाय, जो एक* हैं, चूंकि श्री टी.आर. बालू और श्री मुरली देवरा, दोनों मिले हुए हैं। ...(**व्यवधान**)...

---

*Expunged, as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't use the word* ...(*Interruptions*)... Don't use the word* ...(*Interruptions*)... It should not go on recod. ...(*Interruptions*)...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING (SHRI V. NARAYANASAMY): Sir, it should not go on record.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have removed it. ...(*Interruptions*)... I have removed it. ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह: एक ही सरकार में दोनों मंत्री हैं ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री दिग्विजय सिंह: एक मंत्री ने दूसरे मंत्री की मदद मांगी, दूसरे मंत्री ने उसकी मदद की। मैं उस बात में नहीं जाता। ...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is seized of the matter. ...(*Interruptions*)... Why are you raising it again? ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जब यह पूरा सदन उद्वेलित था, इस सदन में उठाया गया था, तो इस जवाब को सदन के अन्दर देने की बजाय प्रेस के माध्यम से इसी सदन के बाहर दिया जा रहा है। मैं। मानता हूं कि यह सदन की अवमानना है और पार्लियामेंटरी सिस्टम को समाप्त करने की कोशिश है।

श्री उपसभापति: आपका नोटिस आ गया है। It is under consideration of the Chairman. ...(व्यवधान). नोटिस तो दिया गया है, It is under consideration of the Chairman. उसके ऊपर discussion की जरूरत नहीं है। आपने breach of privilege का नोटिस दे दिया है, It is under consideration of the Chairman. The Chairman will examine it and take a decision.

श्री शरद यादव (बिहार): सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इसमें आपको और क्या कहना है?

श्री शरद यादव: एक मिनट मेरी बात सुन तो लीजिए।

श्री उपसभापति: मैं सुनूंगा, मगर इस विषय पर ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव: उपसभापति महोदय, मेरी आपसे यह विनती है कि माननीय सदस्य ने जो यह सवाल उठाया है, आप फैसला करने वाले हैं, इसलिए इसमें मेरा बोलना जरूरी है कि इस देश में सारे, चाहे मैम्बर हों, चाहे मंत्री हों, वे संविधान की कसम लेते हैं और निष्पक्ष रहेंगे, इसकी कसम लेते हैं। इस मामले में, यह इतना गंभीर मामला है, वह बयान देने वाले, उनका बयान पहले आ गया, मैं बता दूं कि वे आज शाम को क्या बयान देंगे। जब इस मामले को आप तय करेंगे, तो मामला ही पूरी तरह खराब हो जाएगा। इसलिए इस privelege motion को गंभीरता से लें, यही मेरी आपसे विनती है।

श्री उपसभापति: श्रीमती सुषमा स्वराज ...(व्यवधान)...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (राजस्थान): सर, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नहीं, इसके ऊपर नहीं ...(व्यवधान)... बिल्कुल नहीं। श्रीमती सुषमा स्वराज।

---

*Expunged, as ordered by the Chair.